रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2006.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

### हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 सितम्बर, 2006/8 आश्विन, 1928

## हिमाचल प्रदेश सरकार

### विधि विभाग

### अधिसूचना

शिमला–171002, 30 सितम्बर, 2006

**संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–22/2006–लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यापाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28–09–2006 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पथकर

2112–राजपत्र/2006–30–9–2006––1,520. (4919) मूल्य : 1 रुपया।

(संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2006 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/–
**(सुरेन्द्र सिंह ठाकुर)**
प्रधान सचिव (विधि)।

# हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अधिनियम, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2006 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है ।

(2) यह 23 मई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 10, 10—क और 10—ख का अन्तः स्थापन ।

1975 का 9

2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"**10. प्रतिदाय.**—सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति को आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदत्त पट्टा धन की किसी भी रकम का विहित रीति में प्रतिदाय करेगा, यदि इस प्रकार संदत्त पट्टा धन की रकम, इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा देय रकम से अधिक है:

परन्तु यह कि प्रतिदाय विधि और व्यवस्था की स्थिति, प्राकृतिक विपत्ति या दैवकृत्य या अनिवार्य वाध्यता के कारण हुई किसी भी हानि की दशा में ही अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा, उस तारीख से, जिसको कि ऐसा दावा प्रोद्भूत होता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर न किया गया हो ।

**10—क. अपील.**—इस अधिनियम के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अपील प्राधिकारी को, ऐसे आदेश के पारित करने के साठ दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे अपील प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के अनुज्ञात करे, होगी।

**10–ख. पुनरीक्षण.**–आयुक्त स्वप्रेरणा से, किसी भी कार्यवाही, जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है या उसके द्वारा निपटाई गई है, का अभिलेख ऐसी कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा या आदेश राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियां उस तारीख से जिसको कि ऐसा आदेश संसूचित किया गया था पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रयोक्तव्य होंगी।"।

2006 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

**Act No. 18 of 2006**

# THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) ACT, 2006

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH SEPTEMBER, 2006)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 ( Act No. 9 of 1975).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

**1.** (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Act, 2006. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd day of May, 2006.

9 of 1975. **2.** After section 9 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, the following sections shall be inserted, namely:— Insertion of sections 10, 10-A and 10-B.

**"10. Refund.**— The Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of the district either *suo-moto* or on an application shall, in the prescribed manner, refund to the lessee or any other person, with the prior approval of the Commissioner, any amount of lease money paid by such lessee or person under this Act, if the amount of lease money so paid is in excess of the amount due from him under this Act:

Provided that refund shall only be allowed to the lessee in the event of any loss sustained on account of law and order situation, natural calamity or by acts of God or force majeure:

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of one year from the date on which such claim accrues.

**10-A. Appeal.**—An appeal shall lie to the appellate authority, appointed by the State Government in this behalf, against any order passed under this Act, within sixty days of the passing of such order or within such further period as the appellate authority may, for sufficient cause, allow.

**10-B. Revision.**—The Commissioner may, of his own motion, call for the record of any proceeding which is pending before, or have been disposed of by any authority subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or the orders are prejudicial to the interest of revenue, may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that powers under this section shall be exercisable only within a period of five years from the date on which such order was communicated.

Repeal of Ordinance No. 1 of 2006 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित